कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रूखाबाद।

संख्या 5686 /आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक 08 जून 2014

विषयः–माननीय राजस्व मंत्री जी उ0प्र0 द्वारा तहसील प्रशासन के लिए दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही किया जाना।

उप जिलाधिकारी/तहसीदार
सदर, कायमगंज व अमृतपुर।

उपरोक्त विषयक निम्नलिखित विन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:–

1– तहसील परिसर साफ–सुथरा रखा जाये और वृक्षारोपण किया जाय।
2– तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों का मौलिक निस्तारण कर शिकायतकर्ता को सन्तुष्ठ किया जाय।
3– विभिन्न प्रमाण पत्र/नकल लेखपाल और राजस्व कर्मियों द्वारा जनहित गारंटी अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार समय से दिये जायें।
4– राजस्व न्यायालय में लम्बित वादों को गुण–दोष पर शीघ्र ही निस्तारण निपटाया जाये और न्यूनतम मानक अवश्य सुनिश्चित किया जाये।
5– विभिन्न आवंटन समय से सुनिश्चित किये जायें।
6– मेढ़बन्दी आदि चकरोड के मामले तुरन्त निपटाये जायें।
7– कृषक दुर्घटना बीमा योजना के दावे समय से निस्तारण किये जाये।
8– गांव समाज की सम्पत्ति– तालाब,चरागाह, चकरोड, नाली एवं कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त रखा जाये

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से करायें और उक्त सूचनाओं की जानकारी सभी को उपलब्ध कराये जाने हेतु फ्लेक्स बोर्ड पर अंकित कराकर प्रमुख स्थानों जहॉ पर जन सामान्य द्वारा देखी जा सके, लगवा दिये जाएं।

(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

1– प्रतिलिपि आयुक्त महोदय कानपुर मण्डल कानपुर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) को अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।